न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :- राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

दायर दिनांक: 30.01.2026

प्रकरण सख्या: 2 / 26
जीसीएमएस नं. 2026 / 21

उनवान

1 भगवानसिंह पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी नैवाडा तहसील भुसावर जिला भरतपुर राज.।

---प्रार्थी

बनाम

1 राज सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.।

---अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी कराये जाने
अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.ए. 1956

अधिवक्ता :-

1 श्री सुरेन्द्र चौधरी ---प्रार्थी

निर्णय दिनांक 26 / 05 / 2026

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 208 रकवा 0.5600 हेक्टेयर वाके ग्राम नैवाडा व आराजी खसरा नम्बर 03 रकवा 0.3400 हेक्टेयर वाके रूंध नैवाडा तहसील भुसावर जिला भरतपुर मे प्रार्थी खातेदार काश्तकार एवं काविज आराजी है। और उसी प्रकार से काविज रहकर शान्ति पूर्वक काश्त करता चला आ रहा है।

प्रार्थी ने अपनी खातेदारी की उपरोक्त आराजी की पैमाइश कराने के लिए अप्रार्थी को ऑन लाइन प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर उपरोक्त आराजी की पैमाइश हेतु अप्रार्थी ने हल्का पटवारी नैवाडा सहित टीम गठित कर पैमाइश कर मौका रिपोर्ट तलब की गई। जिस पर हल्का पटवारी गठित टीम के साथ मौके पर पहुँचा, और अप्रार्थी तहसीलदार भुसावर के आदेश की अनुपालना मे हल्का पटवारी नैवाडा द्वारा आराजी खसरा नम्बर 208 रकवा 0.5600 हेक्टेयर वाके ग्राम नैवाडा व आराजी खसरा नम्बर 03 रकवा 0.3400 हेक्टेयर वाके रूंध नैवाडा तहसील भुसावर तहसील भुसावर की दिनांक 07.07. 2025 को सीमाज्ञान कराया गया। तथा मौके पर उक्त आराजी की सीमाये चिन्हित की गई। हल्का पटवारी नैवाडा द्वारा चिन्हित की गई सीमाओ मे निशानात कायम कर दिये गये थे।

प्रार्थी द्वारा आराजी खसरा नंबर 208 रकबा 0.56 हैक्टे. वाके ग्राम नैवाडा व आराजी खसरा नंबर 03 रकबा 0.34 हैक्टे. वाके ग्राम रूंध नैवाडा तहसील भुसावर की राजस्व टीम द्वारा कराये गये सीमाज्ञान दिनांक 07.07.2025 के आधार पर पत्थरगढी कराये जाने बाबत निवेदन किया है।

हमने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक कराई गई।

हमने बहस पर प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली में प्रस्तुत सीमाज्ञान मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 07.07.2025 का भली भांति अध्ययन किया गया। मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट मौके पर विभिन्न बिन्दुओं से जरीब चलाकर मुस्तकिल बिन्दु कायम कर निशान कायम कर उपस्थित व्यक्तियों को बताया। मौका पर्चा मौके पर तैयार कर उपस्थित व्यक्तियों को पढ़कर सुनाया व हस्ताक्षर कराये।

हमने बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड एवं प्रस्तुत सीमाज्ञान मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 07.07.2025 का भली भांति अध्ययन किया गया। उक्त के आधार पर हम प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.ए. स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, भुसावर को निर्देशित किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 208 रकवा 0.5600 हेक्टेयर वाके ग्राम नैवाडा व आराजी

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०

खसरा नम्बर 03 रकबा 0.3400 हेक्टेयर वाके रूंध नैवाडा तहसील भुसावर की भूमि के पूर्व दिनांक 07.07.2025 को निर्धारित सीमा चिन्ह के अनुसार पत्थरगढी कर मुकाम कायम किये जावे। तथा विवाद की स्थिति में पडौसी खातेदारों की आराजी की पैमाईश भी करवाई जावे। साथ ही आप वक्त पत्थरगढी स्वयं मौके पर उपस्थित रहें। यदि पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो, तो नियमानुसार सक्षम अधिकारी से पुलिस इमदाद अपने स्तर से प्राप्त करें।

निर्णय आज दिनांक 26/05/2026 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०